

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 52/2019

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोजेन्ट्स
1घेवरराम 2गणपतराम 3जीवणराम पुत्रान बालूराम जातियान मेघवाल निवासीगण चून्दिया तहसील रियाबडी।		1तहसीलदार, रियाबडी। 2पटवारी चून्दिया।

उपस्थिति :-

1. श्री जोराराम मेहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक:13.09.19

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, रियाबडी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 93/2017 सरकार बनाम घेवरराम में निर्णय दिनांक 15.02.18 के तहत मौजा भानास के खसरा नं. 124 रकबा 0.03 हैक्ट. गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.06.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 24.06.19 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार रियाबडी के प्रकरण सं. 93/17 सरकार बनाम घेवरराम के फर्द अहकाम की फोटोप्रति, पटवारी चून्दिया की रिपोर्ट दिनांक 25.09.17 की फोटोप्रति, तहसीलदार रियाबडी जारी नोटिस की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोजेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 13.05.19 को हुई व उसी दिन नकल प्राप्त की, जिसकी जानकारी नकले लेने के समय से अंदर मयाद अपील पेश की। दिनांक 15.2.18 से दिनांक 13.5.19 के मध्य व्यतीत हुए समय को कन्डोन किये जाने हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने मे विधिक व कानूनी त्रुटि की है।

{2}(II)-अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित करने मे कानूनी व वाकियाति गलती की है।

{2}(III)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही होने पर उसकी सूचना अपीलान्ट को देकर निर्णय पारित करना चाहिये था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही का नोटिस देकर सूचना नहीं की, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है।

{2}(IV)-अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश मे यह नहीं लिखा कि पटवारी हल्का चून्दिया, जो रिपोर्टकर्ता है, उस समय न्यायालय मे पैरवी हेतु उपस्थित था या नहीं व न ही दिनांक 23.10.17 से 15.02.18 की आदेशिकाओ मे पटवारी हल्का रेस्पोजेन्ट सं. 2 की उपस्थिति दर्ज है। जिससे प्रकरण प्रारंभिक स्टेज पर ही अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाना चाहिये था, परंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है।



{2}(V)-रेस्पोजेन्ट सं. 2 की साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय में लेखबद्ध नहीं हुई है। अगर रेस्पोजेन्ट सं. 2 की साक्ष्य लेखबद्ध होती तो अपीलान्ट को जिरह का अवसर प्राप्त होता व न्यायालय के समक्ष सही स्थिति रेकॉर्ड पर आती व न्याय निर्णयन में सहूलियत भी होती। परंतु किसी प्रकार की साक्ष्य अपीलान्ट के विरुद्ध नहीं होते हुए भी निर्णय अपीलान्ट के विरुद्ध किया है, जो अपास्त योग्य है।


{3}-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलान्ट्स द्वारा मौजा भानास में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भानास के खसरा नंबर 124 रकबा 0.03 हैक्ट. गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलान्ट्स का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट्स का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
नागौर